

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2026 — आषाढ़ 24, शक 1948

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक—GENCOR/1932/2025.R.I.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-27/2011/(6)52, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

- सरल क्रमांक 3 एवं 5 का लोप किया जाये,
- सरल क्रमांक 6 के कॉलम-3 में “परिवार मूलक/मार्जिन मनी योजना” के स्थान पर “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना” प्रतिस्थापित किया जाये,
- सरल क्रमांक 7 के कॉलम-3 में क्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक 2, 3 एवं 4 जोड़ा जाये, अर्थात्—
 - “2. छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में शिल्पी/शिल्पकार पंजीयन
 - छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायी का पंजीयन
 - छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में स्व सहायता समूह/सहकारी समितियों का पंजीयन
- सरल क्रमांक 7 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

1	2	3	4	5	6	7
“8.	छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड (मुख्यालय)	छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड में कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुम्भकारों/कारीगरों के पंजीयन हेतु आवेदन।	30 कार्य दिवस	प्रबंधक मुख्यालय रायपुर	प्रबंधक मुख्यालय रायपुर	प्रबंध संचालक मुख्यालय रायपुर”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, सचिव.